SHRI MANUBHAI KOTADIA: No bus is withdrawn because of diesel cut in Delhi .

SHRI JAGESH DESAI: This is a question for the whole country. Because of diesel cut, buses in the public transport system have been withdrawn. And the Minister says there is no cut in Delhi. If that is so, then why should there be a curb in other places?

MR. CHAIRMAN. He said no bus in Delhi has been with drawn.

SHRI MANUBHAI KOTADIA: We are very much short of buses in Delhi and that is why we have not withdrawn any bus.

MR CHAIRMAN: Next question.

National Highway passing through Karnal

*82. SHRI MOHINDER SINGH LATHER: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) when was the work for making four lanes in the National Highway passing through Karnal taken up and when was the project targetted to be completed;

(b) what is the present position thereof and what are the reasons for the delay in the execution of the project; and

(c) what measures are proposed to be taken by Government to accelerate the process of its early completion?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI MANUBHAI KOTADIA): (a) to c). A statement is laid on the Table of the Sabha

Statement

(a) The work on 4 laning of N.H No. I from Km. 114 to 130 by-passing Karnal started on 1st May 1987 with target date of completion as 30th October, 1990.

(b) and (c) About 5.02 % of the work has been completed The delay is mainly due to failure of the contractor to execute the project as per the contract.

Notices to expedite the progress have been issued to the contractor as per terms of contract One of the two Partners in joint venture which has been awarded the contract has decided to withdraw from the work. Measures to resolve the problems created by this are under consideration of the Government.

SHRI MOHINDER SINGH LATHER. I am disappointed to read the answer. It is a slap on our country's performance. The work was to be completed by 30th October, 1990 and I am sorry to say---and it is also a matter of shame for us—that only 5 per cent of the work has been done till now. This is the answer given to us. This National Highway No. 1 is the lifeline of our country and for business purposes it is the most important road. This should not be treated so shabbily. I would like to point out that there were two contractors to build this road; one Indian and the other was foreigner. The foreigner contractor withdrew from the contract and the Indian. contractor offered to build the road on the same terms and conditions as were originally decided upon, and the proposal was sent to the Central Government on 28th of January, 1990 simply for approval, and then a reminder was also sent to the Government on 5th of April, 1990. But I am sorry to say that no decision has been taken by the Central Government till date. I would like to know from the hon. Minister as to what has been decided on that proposal. I would like to know whether a final decision has been taken and, if so, whether it has been conveyed to the contractor? This is my first supplementary.

SHRI MANUBHAI KOTADIA: Sir, the hon. Member is right that this contract was awarded to a joint venture company consisting of a foreign partner and an Indian company. As per the World Bank guidelines, there is a provision to prequalify the contractor. As per the World Bank norms, the Indian party was not possesing that qualification That is why, he was advised to take help from some foreign company. Then, this Indian company, namely, Messrs Continental Corporation Limited, entered into a contract with a company in the United King-

dom. They had some difference of opinion They submitted a proposal to sign a tripartite agreement i.e, agreement between the foreign company, Messrs. Continental Corporation Limited and the Government of India, which was not accepted by the World Bank The World Bank advised that since Messrs Continental Corporation Limited themselves were not prequalified, this type of tripartite agreement cannot be entered into

SHRI MOHINDER SINGH LATHER. But what about the decision on the proposal which is pending with the Government?

SHRI MANUBHAI KOTADIA: I convened a meeting on the 29th November. I had a meeting with the contractor. I advised the contractor to settle it bilaterally with his counterpart and submit the proposal for sanction by the Government of India. But he has not done it Yesterday, I again called him I had a meeting with him. I advised him 'Either you continue with the work or you please resign'. He is not resigning and he is also not entering into an agreement with the foreign company.

SHRI MOHINDER SINGH LATHER: Mr Chairman, Sir, the intensity of traffic on this road is so much that it now requires six lanes. But we have not completed even four lanes. Therefore, I say that this matter should be taken very seriously by the Government.

Coming to second supplementary, this road passes through Panipat. As you know, Panipat, is a very important industrial town and there is tremendous congestion there. There was a proposal for a bypass Later on, it was turned into a overbridge What happened to this proposal of having a bypass or an overbridge in respect of Panipat?

SHRI MANUBHAI KOTADIA: I have taken note of the suggestion in regard to an overbridge or a bypass I assure the House that this suggestion will be carried out.

डा० अबरार अहमद खान महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह-जगह यह देखने मे आता है कि जहा कही भी पुल होता है, उसके आसपास टौल टैक्स के बूथ बनाकर दो-दो रुपया वाहनो से लिया जाता है और जहा कही भी छोटा या बड़ा पुल होता है, वहा पर जाते समय दो रुपया और आते समय दो रुपया लिया जाता है जब कि वाहनो से पहले ही रोड टैक्स के नाम से पहले ही एकमुश्त राशि ले ली जाती है। क्या वह पुल रोड से अलग है? यदि रोड वहा से हटा दी जाए तो क्या पुल का कोई सिगनिफिकेंस रहेगा? जब रोड टैक्स वाहनों से वसूल किया जाता है तो टौल टैक्स के रूप मे फिर पैसा क्यों लिया जाता है? उस रोड टैक्स का महत्व क्या है और टौल टैक्स का महत्व क्या है, इसको मंत्री जी स्पष्ट करें।

श्री मनुभाई कोटाड़िया : श्रीमन्, नेशनल हाईवे पर पुल पर टैक्स नही लगता है। जिन-जिन पुलो को आइडेंटिफाई किया गया है वहा पर ही टौल टैक्स लगता है। जब उस पुल की कास्ट पूरी हो जाएगी तो उस टैक्स को बंद करने का प्रावधान है।

डा० अबरार अहमद खान : रोड टैक्स ले लिया गया है तो फिर पुल का टैक्स क्यों लिया जाता है?

श्री मनुभाई कोटाड़िया : कहीं भी रोड पर टैक्स नही है ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shrimati Sushma Swaraj.

SHRI VIREN J. SHAH: Sir, what about me?

MR. CHAIRMAN. She is a lady Member from your party. I am giving her preference

SHRI VIREN J. SHAH: Men should not be discriminated against. There should not be any sexual discrimination.

SHRI MANUBHAI KOTADIA I am talking about national highways and not about State highways स्टेट हाईवेज मे रहता है या नही मुझे मालूम नही लेकिन नेशनल हाईवेज मे नही रहता ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मत्री महोदय ने अपने लिखित जवाब मे बताया कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या–1 पर चार लेन बनाने का काम 1–5–87 को शुरू हुआ और निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक यह निर्माण कार्य 31–10–90 को समाप्त हो जाना चाहिए था । श्रीमन्, 1990 भी समाप्त हो चुका है।

श्री सभापति : लाठर जी कह चुके है जो बात आप कह रही है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : हम 1991 में प्रवेश कर चुके है । मत्री महोदय ने कहा है कि पांच फीसदी काम पूरा हुआ है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि यह स्थिति केवल असन्तोषजनक ही नही है बल्कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है । इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है मत्री महोदय का का अगला जवाब, जहा उन्होने कहा है कि मैं समस्या के समाधान के उपायो पर विचार कर रहा हू । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि सरकार इस बात को गम्भीरता से नहीं ले रही है ऐसा पता चलता है । यह रोड जी०टी० रोड नही है दुर्घटना रोड है । कोई दिन ऐसा नही जाता जिस दिन यह अभागी सडक कम से कम 20 शव न ढोती हो । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हू कि बजाय यह रसमी जब ब देने के कि विचाराधीन है, विचार कर रहे हैं, वो क्या कोई ठोस आश्वासन इस सदन को देंगे कि ज्यादा से ज्यादा किस समय तक यह निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा? इसके साथ ही एक सवाल जो लाठर जी ने पानीपत के बारे में उठाया था और उसके बारे में मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि बहुत अच्छा सुझाव है मैं इस पर गौर करूंगा तो मैं कहना चाहती हू कि वह नया सुझाव नहीं है वह प्रस्ताव पहले से मंत्रालय के पास है पानीपत मे बाईपास बनाने का । मैं जानना चाहूगी कि मत्रालय इस प्रस्ताव पर क्या कर रहा है ? इन दोनो बातो का मत्री महोदय से जवाब चाहती हू ।

श्री मनुभाई कोटाड़िया : जैसा मैंने कहा कि यह पानीपत का प्रस्ताव हमने स्वीकार कर लिया है । हमारे सदस्य ने जो पानीपत पर बाईपास का जो सुझाव दिया है वह हमने स्वीकार कर लिया है और जल्दी ही यह हो जायेगा । दूसरी बात जो इन्होने कही कि यह दुर्भाग्यिपूर्ण बात है तो मैं उनकी इस बात से सहमत हू । चार साल तक यह रोड नही बनी है । यह इम्पोर्टेंट रोड है । जल्दी होनी चाहिए । लेकिन जैसा मैंने जवाब दे दिया कि दो काट्रेक्टर के बीच झगडा हो जाने के कारण यह काम आगे नही बढ़ सका । मैंने 21 नवम्बर, को इस डिपार्टमेट का चार्ज सभाला और 29 नवम्बर को मैंने काट्रेक्टर को बुलाया । उनको मैंने कहा कि आप काम नही करना चाहते तो यू रिजाइन और काम करना चाहते हैं तो काम चालू करो । उसने मेरे से एक महीने का समय मागा था कि जो मेरा काउटर पार्ट है, भागीदार है उसको बुलाकर बात करूगा और आपके पास आऊगा । वह मेरे पास नही आया तो मैंने कल फिर बुलाया । मैंने उससे कहा कि 8 तारीख से पहले जवाब चाहिए । मैं गम्भीरतापूर्वक, नम्रता से कहना चाहता हूं कि यह मसला मैंने ले लिया है। and I will see to it that it is implemented as early as possible.

श्री शंकर दयाल सिंह : माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है वह केवल एक जगह का प्रश्न है लेकिन यह जो राष्ट्रीय मार्ग संख्या दी है यह देश का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है । अशोक के जमाने से लेकर यह चला और शेरशाह ने इसको पेशावर लेकर ढाका तक पूरा किया । इस सड़क की स्थिति बहुत खराब है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले सरकार की ओर से यह घोषणा हुई थी कि ऐसे राष्ट्रीय मार्गों पर एक केन्द्रीय नीति निर्धारित होगी । इसके रखरखाव आदि के लिए केन्द्रीय सरकार

अपनी मशीनरी यूज करेगी । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि क्या सरकार के अधीन कोई ऐसा विचार है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मार्गों को केन्द्रीय सरकार अपने अधीन ले और उनका मैन्टेनेन्स भी वह करे ?

श्री मनुभाई कोटाड़िया : एक नेशनल हाईवेज अथोरिटी का निर्माण किया गया है लेकिन उसको कार्यरूप नहीं दिया गया है । कल ही मैंने उसकी फाइल देखी है । इन नेशनल हाईवेज अथोरिटी का इस्तेमाल कैसे किया जाए इस पर गम्भीरता पूर्वक सोच रहा हू ।

श्री शंकर दयाल सिंह . सरकार ने कुछ दिन पहले यह घोषणा की थी कि राष्ट्रीय मार्गों की जो मैन्टेनेन्स है वह केन्द्रीय सरकार अपने अधीन लेने जा रही है । मैं यह चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार यह करने जा रही है य नही यह आप बताये ।

श्री मनुभाई कोटाड़िया : जो घोषणा की बात आप कर रहे हैं मैं देख लूगा कि ऐसी कोई घोषणा हुई या नही । और घोषणा हुई तो किस सन्दर्भ मे हुई ? इसके अमल करने के लिए क्या हो सकता है यह भी देख लूगा । माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है कि यह केन्द्रीय सरकार के अधीन लिया जाए, यह एक सुझाव है इस सुझाव को देख लूगा कि क्या हो सकता है ।

Inter-State water disputes in the country

*83. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE †
SHRI ASHWANI KUMAR

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state.

(a) the details of the inter-State Water disputes in the country and since when each one is pending,

(b) the steps taken to solve each case and with what results, and

(c) whether there is any proposal to streamline the process to expedite all such disputes, if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI MANUBHAI KOTADIA) (a) and (b) Under the provisions of the inter-State Water Disputes Act, 1956, two disputes, namely, sharing of surplus Ravi and Beas Waters and sharing of Cauvery Waters have been referred to the Tribunals in April 1986 and June, 1990 respectively As regards the proposal from Madhya Pradesh for consideration of the questions associated with Mahi Bajaj Sagar under the Inter-State Water Disputes Act, an inter-State meeting is proposed to be convened shortly Apart from that there are some inter-State issues regarding interpretation of earlier agreements, sharing of surplus waters etc

(c) For expediting amicable settlement of inter-State issues in water resources between the States, a Standing Committee of the National Water Resources Council has been constituted in April, 1990

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : सभापति जी; नदी विवादों को शीघ्रता से हल करने के लिए ट्राइब्यूनल बनाये जाते हैं, लेकिन जैसा मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि ट्राइब्यूनल फैसले नहीं कर पा रहे हैं । राबी और ब्यास के पानी के बंटवारे का मामला 1986 से ट्राइब्यूनल के सामने पडा हुआ है । अब कोई कमेटी बनाई गई है जो अन्तर्राज्यीय मुद्दों पर बातचीत करेगी । क्या मंत्री महोदय यह स्वीकार करते हैं कि इन विवादों को निपटाने में देर के कारण जहां राज्यों में तनाव पैदा होता है वहां देश की अमूल्य सम्पत्ति जो जल के रूप में हमें प्राप्त होती है उसका समुचित सदुपयोग नहीं हो पाता है ? ऐसी स्थिति में समिति के निर्माण के अलावा भी क्या मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए कोई कदम उठाये जाएंगे ?

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Atal Bihari Vajpayee.